कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्भल

पत्रांक संख्याः–309 /गृहकर/2025–26 दिनांकः– 22/04/2025

कैंटीन/ साइकिल/वाहन स्टैण्ड/ विज्ञापन,का ठेका उठाने हेतु नीलामी की सूचना

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, सम्भल के वर्ष 2025–26 (अप्रैल 2025 से 31.03.2026 तक) हेतु निम्न तालिका में अंकित विवरण अनुसार किराये पर लेने हेतु नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांकः 29/4/2025 दिन मंगलवार समय पूर्वान्ह 11:00 बजे कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्भल के प्रांगण में की जायेगी।

कार्य/नीलामी का विवरण

क0 सं0	कार्य का विवरण	सरकारी बोली प्रारम्भ	बोली/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति हेतु पंजीकरण शुल्क	जमानत धनराशि
1	चौधरी सराय चौराहा पर स्थित कैंटीन की नीलामी	1,30,000/–रूपये	12,500/–रूपये	2,50,000/–रूपये
2	सद्भावना पार्क/मनोकामना रोड में स्थित कैंटीन की नीलामी।	53,000/–रूपये	5,000/–रूपये	50,000/–रूपये
3	नगर पालिका परिसर में साइकिल/वाहन स्टैण्ड का ठेका पार्किग शुल्क की नालामी।	3,00,000/–रूपये	5,000/–रूपये	1,00,000/–रूपये
4	विज्ञापन की नीलामी/ठेका होर्डिग, बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले विज्ञापन, साइन बोर्ड, टिन प्लेट विज्ञापन, दीवार पर पेन्टिग, कपड़े के बैनर आदि के विज्ञापनों, समस्त प्रकार के यूनिपोल इत्यादि)।	10,00,000/–रूपये	15,000/–रूपये	3,00,000/–रूपये

नीलामी में भाग लेने से पूर्व अनिवार्य शर्ते।

1– जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।
2– पंजीकरण शुल्क।
3– जमानत धनराशि।
4– आधार कार्ड।
5– पैन कार्ड।
6– नगर पालिका परिषद, सम्भल से निर्गत अदेय प्रमाण पत्र।
7– बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा दस रूपये के स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

शेष शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1– बोली/नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीकरण शुल्क जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। साथ ही नियत दिनांकः–28/4/2025 समय अपरान्ह 05:00 बजे तक जमानत धनराशि (डी0डी0/नकद) जमा करनी होगी। किन्तु पंजीकरण शुल्क वापस नहीं हागी। पंजीकरण शुल्क/जमानत धनराशि चेक के माध्यम से स्वीकार नहीं होगी।
2– पंजीकरण कराने के पश्चात जमानत धनराशि जमा करने वाला व्यक्ति ही बोली/नीलामी में भाग ले सकता है।
3– नीलामी ठेका स्वीकृति के उपरान्त् कम संख्याः– 1 से 4 तक के कार्य हेतु उस व्यक्ति को कुल धनराशि का 1/2 भाग तत्काल जमा करना होगा । शेष धनराशि माह मई 2025 के प्रथम सप्ताह में जमा कराना अंनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।
4– यदि किसी की बोली नहीं छुटती है तब ऐसी स्थिति में जमानत धनराशि चैक के माध्यम से वापस की जारेगी।
5– विज्ञापन कार्य हेतु कम से कम 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6– कैंटीन के स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/निर्माण करने से पूर्व नगर पालिका परिषद, सम्भल से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुए बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।
7– कैंटीन में कोई भी क्षति होने पर उस धनराशि की वसूली जमानत धनराशि से की जायेगी।
8– विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद–सम्भल का होगा।
9– नगर पालिका परिषद, सम्भल से सम्बन्धित कर्मचारी एवं अध्यक्ष/सभासद व इनके परिजनों को नीलामी में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।

–2–

10–कैंटीन में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई व्यवसाय नहीं किया जायेगा जिससे जन सामान्य की धार्मिक भावना आहत होती हो।

11– शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

12– नीलामी/ठेका स्वीकृति उपरान्त् उस व्यक्ति को कुल धनराशि का 4 प्रतिशत स्टाम्प जमा करना अनिवार्य होगा।

13– शर्तें पूरी न करने पर नगर पालिका परिषद, सम्भल के सक्षम अधिकारी को नीलामी/ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14– उत्तर प्रदेश सरकारी गजट 02 जुलाई, 2016 ई0 भाग–8 में प्रकाशित विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली सम्बन्धी आदर्श उपविधि में दी गयी अनुसूची–2 का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15– यूनिपोल पर फ्लैक्स बोर्ड लगाये जाने से यातायात बाधित नहीं होगा। यदि यूनिपोल पर फ्लैक्स बोर्ड से यातायात बाधित होता है अथवा कोई दुर्घटना घटित होती है, तब उसके लिए फर्म/ठेकेदार व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होगा।

16– फ्लैक्स बोर्ड पर किसी ऐसे शब्द अथवा भाषा अथवा वाक्यों का प्रयोग नहीं करायेगा, जिससे कि किसी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो।

17– यूनिपोलों पर फ्लैक्स बोर्ड के सम्बन्ध में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

18– यूनिपोल पर फ्लैक्स बोर्ड इस प्रकार लगाये जायेंगे कि इनसे जनसामान्य के सुगम आवागमन से कोई अवरोध अथवा क्षति न हो एवं यातायात में बाधा न पहुँचे जिसमें कोई भी नये यूनिपोल स्थापित करने से पूर्व नगर पालिका परिषद, सम्भल से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगी।

19– नीलामी/ठेका स्वीकृति उपरान्त् स्वीकृत फर्म/ठेकेदार की यह जिम्मेदार होगी कि वह नगर पालिका परिषद, सम्भल व राज्य/केन्द्र सरकार की नीतियों/निर्देशों आदि से सम्बन्धित विज्ञापन निःशुल्क निर्धारित स्थल पर लगाया जायेगा जिसकी अवधि लगभग एक सप्ताह अथवा उससे अधिक हो सकती है।

20– जिला प्रशासन/चुनाव आयोग/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में नगर पालिका परिषद, सम्भल द्वारा हटाये गये विज्ञापनों की क्षतिपूर्ति का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नगर पालिका परिषद, सम्भल की वेबसाईट**www.nagarpalikasambhal.in**पर उक्त नीलामी से सम्बन्धित विवरण, शर्तें देखी जा सकती है एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सम्भल

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, सम्भल

<u>पत्र संख्या एवं दिनांक–तदैव।</u>

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, पंजाब केसरी, सम्भल को अपने अगामी अंक में छोटे आकार में कम से कम व्यय पर एक बार प्रकाशन हेतु।
2. नगर पालिका परिषद, सम्भल की वेबसाईट**www.nagarpalikasambhal.in** पर अपलोड करने हेतु।

22/04/2025

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सम्भल

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, सम्भल